फर्द अहकाम

न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम केसेज (सैशन न्यायाधीश) दौसा

उनवान : सरकार **बनाम** उमेश बिहारी वगैरहा

किस्म मुकदमा : सैशन प्रकरण संख्या– 09/2026

सीएनआर नंबर : RJDS010000582026

(FIR NO.33/2024 PS कोतवाली, दौसा U/S 8/15, 8/29 NDPS Act.)

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
16.06.2026	श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त विष्णु वर जमानत असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री गुरू महेश्वर गंगावत प्रॉक्सी काउंसल श्री भुवनेश्वर प्रसाद गंगावत उपस्थित। अभियुक्त उमेश बिहारी वर जमानत असालतन मय विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा उपस्थित। अभियुक्त मिठ्ठू सिंह वर जमानत उपस्थित नही, जिसकी हाजिरी माफी का आवेदन जरिये विद्वान अधिवक्ता विक्रम शर्मा पेश हुआ जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह हाजिर नही। गवाह संख्या 2 विरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, थाना मालेखाडा बावजूद जमानती वारण्ट उपस्थित नही। गवाह संख्या 1 हीरालाल को जरिये जमानती वारण्ट तादादी मूल्य 2,000/– रूपये से दिनांक 11.08.2026 के लिए, तथा गवाह संख्या 2 विरेन्द्र सिंह को जरिये गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 12.08.2026 के लिए तलब किया जावे। थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, दौसा को निर्देश हैं कि गवाहान की तामीलें हर सूरत में करवाकर गवाहान की साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति अनुपालना हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, दौसा व मालाखेडा जिला अलवर को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में पूर्व नियत पेशी दिनांक 07.07.2026 को पेश हो। सैशन न्यायाधीश दौसा (राज०)	[illegible]